न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/01/2020 दायर दिनांक 03.03.2020

उनवान

1. अमरचन्द उर्फ नन्दलाल दत्तक पुत्र रूपा जाति काछी आयु वयस्क, निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. कंकु पुत्री रूपा जाति काछी आयु वयस्क, निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत बालारडा जरिये ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत बालारडा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सीताबाई पत्नि खेमराज जाति कच्छावा आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजमल पुत्र खेमराज जाति कच्छावा आयु वयस्क निवासी काछियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत बालारडा नामान्तरण सं0 276, दिनांक 05 फरवरी 2013

निर्णय दिनांकः 10.08.2022

—: निर्णयः—

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अपीलान्ट ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत बालारडा तहसील कपासन के नामान्तरकरण प्रविष्ठि कमांक 276 निर्णय दिनांक 05 फरवरी 2013 को विद्वान एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा प्रदत्त आदेश एवं निर्णय के विरूद्ध परिवेदित हो के उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित छाया प्रति सहित निर्धारित न्यायालय शुल्क सहित अपीलान्ट निम्नांकित बिन्दुओ पर आधारित प्रथम राजस्व अपील याचिका अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सादर प्रस्तुत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested

यह कि माननीय अधिनस्थ ग्राम पंचायत बालारडा ने मृतक खातेदार श्री रूपा पुत्र कालु जी काछी निवासी काछियाखेडी का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट स0 एक कंकु अकेले

के नाम खोलने में भारी विधिसम्मत भुल की है। मृतक खातेदार श्री रूपा जी के एकमात्र पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0 एक कंकु है। कंकु अपीलान्ट की नैसर्गिक माता है। अपीलान्ट के नैसर्गिक पिता श्री लेहरू जी थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार मृतक रूपा जी अपीलान्ट के सगे नाना तथा मु० काशीबाई अपीलान्ट की सगी नानी है। मृतक खातेदारी श्री रूपा जी के कोई पुरूष सन्तान नही होने से मृतक रूपा जी व काशी बाई ने अपीलान्ट को समाज एवं क्षेत्र में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार बाल्यावस्था मे गोद रखा तथा गोद पुत्र रखने की पुष्टि मे दिनांक 01 जुलाई 1985 को गोदनामा लिखवा कर उप पजीयक कपासन मे पंजीयन करवा दिया, अपीलान्ट के नैसर्गिक माता– पिता रेस्पोडेन्ट स० एक श्रीमती कंकु व लेहरू ने गोदनामा सहमति की पुष्टि मे अपना हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशानी अंकित की है। इस प्रकार अपीलान्ट मृतक खातेदार श्री रूपा का अपनी बाल्यावस्था यानि आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व से दत्तक पुत्र है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट स० एक कंकु को भली भांति है फिर भी रेस्पोडेन्ट सं0 एक कंकु ने जानबुझ कर अपीलान्ट के दत्तक पुत्र होने के तथ्य को छिपाते हुये ग्राम पंचायत बालारडा को गुमराह कर धोखे से विरासत का नामान्तरकरण अपने स्वंय के नाम खुलवा लिया जो कि विधि विरूद्व होकर निरस्ती योग्य है ग्राम पंचायत बालारडा ने मृतक खातेदार के दत्तक पुत्र होने के बाबत बिना किसी जांच के इस प्रकार का निर्णय एवं आदेश पारित करने मे भारी भूल की है।

यह कि अपीलान्ट दिनांक 01 जुलाई 1985 से अपने नाना रूपा जी व नानी मु० काशीबाई का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट के दत्तक माता–पिता ने अपीलान्ट को अपने जन्मजात जायन्दा पुत्र की भांति पाल पोष कर बडा किया, अपीलान्ट को पढाया लिखाया, अपीलान्ट का विवाह भी अपीलान्ट के दत्तक माता–पिता ने ही कराया। अपीलान्ट को उसके दत्तक माता–पिता ने अपने साथ रखकर उनकी चल, अचल सम्पति व आराजीयात आदि मे सयुक्त रूप से काबिज कर दिया। अपीलान्ट के माता–पिता ने अपने जन्मजात जायन्दा पुत्र की भांति सभी तरह के अधिकार अपीलान्ट को दे दिये। मृतक खातेदार श्री रूपा जी का दिनांक 28 नवम्बर 2012 को देहावसान हो गया, रूपा जी के देहावसान से लगभग चार वर्ष पूर्व अपीलान्ट की दत्तक माता काशीबाई का देहावसान हो गया। अपीलान्ट ने अपने दत्तक माता–पिता की मृत्यु उपरान्त होने वाले क्रियाकर्म, सामाजिक रिति रिवाज, मृत्युभोज आदि सभी सामाजिक दायित्वों को निर्वाह किया। अपने दत्तक माता–पिता की मृत्यु उपरान्त उनकी सभी चल अचल सम्पति सहित आराजीयात का अपीलान्ट एकमात्र स्वामी बनने से काबिज हुआ। तब से अपीलान्ट अपने दत्तक माता–पिता की सभी चल–अचल सम्पति सहित आराजीयात आदि का अपीलान्ट एकमात्र स्वामी होकर आज तक निरन्तर शांतिपूर्वक अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested

के कब्जे मे चली आ रही है। ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा मृतक खातेदार रूपा की आराजीयात पर कब्जे की बिना किसी जांच के रेस्पोडेन्ट स0 एक कंकु के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का निर्णय कर आदेश पारित करने मे विधिसम्मत कानुनी भूल की है चूंकि वर्णित आराजीयात के किसी भी भूभाग पर रेस्पोडेन्ट स0 एक कंकु का कही भी किसी भी रूप मे कोई कब्जा नही है।

यह कि सम्पत लाल पुत्र लेहरू जी काछी निवासी काछियाखेडी अपीलान्ट का सगा छोटा सहोदर भाई है। अपीलान्ट के नैसर्गिक पिता श्री लेहरू जी का देहावसान हो चुका है। अपीलान्ट की नैसर्गिक माता कंकु लेहरू जी की विधवा पत्नी है। अपीलान्ट की नैसर्गिक माता कंकु व सगा भाई सम्पतलाल शामिल शरिक रहते है। तथा इनका सयुक्त परिवार है कंकु की वृद्धावस्था व विधवा होने से भाई सम्पतलाल के अनुचित दबाव एवं प्रभाव में है। अपीलान्ट के दत्तक पिता रूपा जी की मृत्यु के पश्चात भाई सम्पतलाल व कंकु ने षडयत्र रचकर आराजीयात का विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत बालारडा से मिलकर रेस्पोडेन्ट स0 एक कंकु के अकेले के नाम खुलवा कर अमल दरामद करवा दिया जिसका अपीलान्ट को कोई ज्ञान नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

यह कि ग्राम काछियाखेडी के हाल खाता संख्या 59 मे अन्य आराजीयात के साथ आराजी खसरा संख्या 421 क्षेत्रफल 0.48 हैक्टयर स्थित है जो अपीलान्ट के दत्तक पिता रूपा जी के 1/12 हिस्से से खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं कब्जे की थी जो विरासत से रेस्पोडेन्ट स0 एक ककुं के नाम गलत नामान्तरकरण खुलने से खातेदारी में आई। कंकु ने अपीलान्ट को जलील व परेशान करने के दुराशय से दुर्भावनावंश रेस्पोडेन्ट स० तीन एवं चार को बोगस विक्रय पत्र लिखवा दिनाक 14 जनवरी 2020 को पंजीयन करवा दिया तथा उक्त पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलाने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

यह कि मृतक खातेदार रूपा जी एवं काशीबाई द्वारा अपीलान्ट को दत्तक पुत्र रखे जाने के बाद से तथा रूपा जी की मृत्यु से आज तक रेस्पोडेन्ट स० एक कंकु का वादगत आराजीयात पर किसी प्रकार का हक, अधिकार कब्जा एवं स्वामित्व नही रहा इसके उपरान्त भी अधिनस्थ रेस्पोडेन्ट स0 दो ग्राम पंचायत बालारडा ने रेस्पोडेन्ट स० एक कंकु के नाम तन्हा नामान्तरकरण निर्णित करने मे विधिक भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अधिनस्थ न्यायालय बालारडा ने अपीलान्ट को बिना तलब किये तथा सुनवाई का अवसर दिये, मनमाने ढग से रेस्पोडेन्ट स0 एक कंकु के हक मे गलत निर्णय पारित करने मे नैसर्गिक न्याय एवं विधिक मान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर विधिक भूल की है।

यह कि रेस्पोडेन्ट स0 तीन श्रीमती सीताबाई एवं चार श्री राजमल आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किये गये है।

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बालारडा ने दिनांक 05 फरवरी 2013 को विरासत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया है जिसका ज्ञान अपीलान्ट को नही था इसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 11 फरवरी 2020 को होने पर पटवारी हल्का बालारडा से उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन दिनांक 11 फरवरी 2020 को पेश किया, पटवारी हल्का बालारडा ने दिनांक 14 फरवरी 2020 को उक्त नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिपि जारी की तत्पश्चात बिना किसी विलम्ब के यह अपील श्रीमान की सेवामे सादर प्रस्तुत है।

यह कि दिनांक 25 फरवरी 2020 मगंलवार को पक्षकारान के गांव काछियाखेडी मे आयोजित सामाजिक कार्यकम मे रेस्पोडेन्ट स० एक कंकु ने अपने नाम पर खातेदारी मे अंकित हिस्से को विक्रय एवं ट्रांसफर करने की धमकी दी अतरू बिनाय अपील पैदा हुई जो निरन्तर जारी है।

यह कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की अपील करने मे जान बुझकर किसी प्रकार का विलम्ब नही किया है इस अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पृथक से पेश है अतः इस अपील को समयावधि में शुमार कराई जाकर मृतक खातेदार रूपा की आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या एक कंकु के साथ अपीलान्ट का नाम जोडा जाना आवश्यक है, अन्यथा अपीलान्ट को अतुलनीय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन किया जाना सम्भव नही होगा तथा वाद बाहुल्यता मे वृद्धि होगी।

अन्त में प्रार्थना की कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बालारडा की नामान्तरकरण प्रविष्ठि कंमाक 276 मे दिनाक 05 फरवरी 2013 को पारित आदेश खारिज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा मृतक रूपा काछी की आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या एक कंक के साथ अपीलान्ट का नाम भी जोड़े जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये अतएव दिनांक 04.08.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। आज दिनांक 10.08.2022 को वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिसे शा0 फा0 किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2013 निरस्त फरमाया जाकर मृतक रूपाजी काछी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या एक कंकु के साथ अपीलान्ट का नाम भी बराबर हक से अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 276 दिनांक 05.02.2013 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि मृत्तक रूपा के वारिसान को अपील के समस्त पक्षकारान व जमाबन्दी में दर्ज समस्त सहखातेदारान को सुना जाकर नवीन सिरे से नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:33 IST
Reason: SelfAttested